न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु०न० – 51/2018

1. गोपीराम पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी बीझवायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी–

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र हेमराज जाति मेघवाल निवासी 43 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सुलतान पुत्र हेमराज जाति मेघवाल निवासी 43 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

निर्णय

दिनांकः– 17/1/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 24/23 के मुरबा नं0 21 के किला नं0 3 से 8, 13 से 18, 22/1 व मुरबा नं0 39 के किला नं0 7 ता 19 की कुल 6.469 है0 भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के वृद्ध पिता अमीचन्द के नाम कुल 3.289 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का पिता वृद्ध है जो चारपाई से उठाने में असहाय है। तमाम भूमि प्रार्थी काश्त करता हैं। प्रार्थी के कब्जा काश्त में चक 43 एलएनपी के मुरबा नं0 39 के किला नं0 7 से 19 की 13 बीघा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त में हैं। अप्रार्थीगण के नाम तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 43/59 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 1 ता 15 में कुल 3.795 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का मुरबा नं0 39 अप्रार्थी के मुरबा नं0 40 से चिपता हुआ पूर्वी दिशा में हैं। मुरबा नं0 40 व 39 के साथ प्रत्येक के किला नं0 1 ता 5 से चिपता हुआ मन्जूर शुदा रास्ता चालू है तथा प्रार्थी अपने मुरबा नं0 39 के रकबा में आने जाने हेतु मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 में ढेड बिस्वा रकबा व किला नं0 5 से चिपती किला नं0 6 की कुंट पर 12 फिट जगह जहां पर पुराना घरेलू तौर पर रास्ता चालू है। उससे गुजर कर प्रार्थी अपने रकबा में गत 30 वर्षो से आवागमन कर रहा है तथा उक्त जगह को रास्ता ... में ...कृत कराना चाहता है। आज से दो रोज पूर्व जब प्रार्थी

(...ष कुमार) ...ण्ड अधिकारी ...मपुर (राज०)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त रास्ता से आवागमन कर रहा था। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का गाढ़ा रोक दिया कहने लगे कि हम उक्त रास्ता को बन्द करेंगे जबकि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जो यही वाद का कारण है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता की एवज की जगह में भूमि के बदले भूमि अथवा मुआवजा राशि देने हेतु तैयार है। वादी उपरोक्त चालू घरेलू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में रास्ता आम की जगह के रूप में स्वीकृत कराना चाहता हैं। दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 48/49 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी दिशा में ढेड विस्वा जगह व उससे चिपती किला नं0 6 की कुंट की 12 फिट जगह में रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दरख्वास्त की मद सं0 1 में तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 24/23 के मुरबा नं0 21 किला नं0 3 से 8, 13 से 18, 22/1 व मुरबा नं0 39 के किला नं0 7 ता 19 की कुल 6.469 है0 भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के वृद्ध पिता अमीचन्द के नाम कुल 3.289 है0 भूमि खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। जो भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। दरख्वास्त की मद सं0 2 में अप्रार्थीगण के नाम तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 43/59 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 1 ता 15 में कुल 3.795 है0 भूमि खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। जो अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हैं। दरख्वास्त की मद सं0 3 में अप्रार्थीगण के मुरबा नं0 40 के रकबा से चिपता हुआ मुरबा नं0 39 है। प्रार्थी अपने मुरबा नं0 40 के रकबा में आने जाने हेतु मुरबा नं 40 में पुराने चालू घरेलू रास्ता किला नं0 5 के ढेड विस्वा व उससे चिपते किला नं0 6 की कुंट से आवागमन करता रहा है। दरख्वास्त की मद सं0 4 में प्रार्थी व अप्रार्थी का आपस में घरेलू विवाद हो गया था जो पंचाचत ने समजाईश करा दी हैं। दरख्वास्त की मद सं0 5 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से पंचायत ने राजीनामा करा दिया है। अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि चक 43 एलएनपी के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी दिशा में ढेड़ विस्वा जगह में व उससे चिपती हुई किला नं0 6 की कुंट की 12 फिट जगह में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतु सहमत है। अप्रार्थीगण को घरेलू तौर पर मुआवजा पेटे पंचायत ने भरपाई कर दी है। दरख्वास्त की मद सं0 6 के तथ्य कानूनी दर्ज किये गये है। जिसके जवाब की आवश्यकता नहीं हैं। जवाब दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि दरख्वास्त प्रार्थी

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त रास्ता से आवागमन कर रहा था। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का गाढ़ा रोक दिया कहने लगे कि हम उक्त रास्ता को बन्द करेंगे जबकि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु ओर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। जो यही वाद का कारण है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता की एवज की जगह में भूमि के बदले भूमि अथवा मुआवजा राशि देने हेतु तैयार है। वादी उपरोक्त चालू घरेलू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में रास्ता आम की जगह के रूप में स्वीकृत कराना चाहता हैं। दरख्वास्त पेश कर निवेदन है कि तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 48/49 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी दिशा में ढेड विस्वा जगह व उससे चिपती किला नं0 6 की कुंट की 12 फिट जगह में रास्ता स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दरख्वास्त की मद सं0 1 में तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 24/23 के मुरबा न0 21 किला नं0 3 से 8, 13 से 18, 22/1 व मुरबा नं0 39 के किला नं0 7 ता 19 की कुल 6.469 है0 भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के वृद्ध पिता अमीचन्द के नाम कुल 3.289 है0 भूमि खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। जो भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। दरख्वास्त की मद सं0 2 में अप्रार्थीगण के नाम तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 43/59 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 1 ता 15 में कुल 3.795 है0 भूमि खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है। जो अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हैं। दरख्वास्त की मद सं0 3 में अप्रार्थीगण के मुरबा नं0 40 के रकबा से चिपता हुआ मुरबा नं0 39 है। प्रार्थी अपने मुरबा नं0 40 के रकबा में आने जाने हेतु मुरबा नं 40 में पुराने चालू घरेलू रास्ता किला नं0 5 के ढेड विस्वा व उससे चिपते किला नं0 6 की कुंट से आवागमन करता रहा है। दरख्वास्त की मद सं0 4 में प्रार्थी व अप्रार्थी का आपस में घरेलू विवाद हो गया था जो पंचाचत ने समजाईश करा दी हैं। दरख्वास्त की मद सं0 5 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से पंचायत ने राजीनामा करा दिया है। अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि चक 43 एलएनपी के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी दिशा में ढेड़ विस्वा जगह में व उससे चिपती हुई किला नं0 6 की कुंट की 12 फिट जगह में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतु सहमत है। अप्रार्थीगण को घरेलू तौर पर मुआवजा पेटे पंचायत ने भरपाई कर दी है। दरख्वास्त की मद सं0 6 के तथ्य कानूनी दर्ज किये गये है। जिससे

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

स्वीकार की जावें तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं हैं। तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट मगवाई गई। तहसीलदार पदमपुर के पत्रांकः राजस्व/2019/705 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट मुताबिक रकबा में सम्बन्धित मुताबिक जांच रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक वृत बीझवायला बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :–

1. चक 43 एलएनपी के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 में 0.019 है0 व किला नं0 6 में 0.002 है0 बारानी रकबा जिस पर रास्ता प्रस्तावित है। मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी इसी रास्ते से आना जाना कर रहा है।
2. यही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित होगा।
3. राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय में उक्त रकबा पर स्थगन आदेश दर्ज नहीं हैं
4. मौका नक्शा व फर्द मौका संलग्न है।
5. रास्ता चालू हैं
6. प्रस्तावित रास्ता की जगह के खातेदार स्वयं भी उक्त रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में राजीनामा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसील पदमपुर के चक 43 एलएनपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 48/49 के मुरबा नं0 40 के किला नं0 5 के पूर्वी दिशा में 1–1/2 विस्वा जगह में व उससे चिपती किला नं0 6 के कोने की 12 फिट जगह में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2020.02.05 15:22:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: